संख्या–1539 /XVIII-(2)/18-12(17)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 12 जुलाई, 2018

विषय:– आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (डी.एम.एम.सी.) कार्यालय के सभागार तथा शौचालयों के पुनरुद्धार (Renovation) कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–224/DMMC/XIV/272(2007), दिनांक 07 मई, 2018 के द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (डी.एम.एम.सी.) कार्यालय के सभागार तथा शौचालयों के पुनरुद्धार (Renovation) कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹ 53.36 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (डी.एम.एम.सी.) कार्यालय के सभागार तथा शौचालयों के पुनरुद्धार (Renovation) कार्य हेतु ग्रामीण निर्माण प्रखण्ड देहरादून द्वारा गठित आगणन ₹ 53.36 लाख (₹ तिरेपन लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने पर पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के प्रमुख अभियन्ता का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
3. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. आगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अंतर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।
5. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों को सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर ही कोषागार से आहरण किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा रखा जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
8. आगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

2— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—102—02—आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण—42—अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या—82 गतदेय/XXVII(5)/2018, दिनांक 10 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-1539 (1)/XVIII-(2)/18-12(17)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ला)
अनु सचिव